

In,

The court of Sub-Judge 1st, Patna City

T.P.S.-241/2019

20.09.2021	वादी अन्तर्गत प्रतिवादी के उपस्थिति हेतु लाँवित है। आज Physical Court है। वादी के विद्वान अधिवक्ता वाद में उपस्थित हुए। वादी अपने दाखिल संशोधन आवेदन पत्र U/o 6 Rule 17 R/w Section 151 C.P.C. को संचालित कर निवेदन करते हैं कि वाद पत्र में संशोधन की अनुमति दिया जाए। इस वाद के उपस्थित प्रतिवादी संख्या-12 एवं 13 वाद को संचालित कर निवेदन करते हैं कि यदि वाद पत्र में संशोधन किया जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या-12 एवं 13 के विद्वान अधिवक्ता का सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि वादी की ओर से शपथ युक्त आवेदन पत्र दाखिल किया गया है जिसपर अपस्थित वादी संख्या-12 एवं 13 द्वारा "No Objection" अंकित किया गया है। वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन के समर्थन में कागजात की छायाप्रति भी दाखिल किया गया। वाद अभी प्रारंभिक अवस्था में है तथा वाद में संशोधन से इसके प्रकृति में परिवर्तन नहीं होगा। अतः वादी की ओर से दाखिल संशोधन आवेदन पत्र U/o 6 Rule 17 R/w Section 151 C.P.C. न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी संशोधन आवेदन पत्र के अनुसार वाद पत्र में आवश्यक संशोधन करे। कार्यलय लिपिक संशोधन आवेदन पत्र के आलोक में सरिस्तेदार से प्रतिवेदन की मांग करे। वाद दिनांक 29/09/2019 वास्ते प्रस्तुत करे।  अवर न्यायाधिश, प्रथम पटना सिटी
------------	---